



प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषय- मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु उ0प्र0 शासन के समस्त विभागों की आधिकारिक ई-मेल आई0डी0 के साथ-साथ विभागों में नामित नोडल अधिकारियों (शासन में मुकदमों की पैरवी हेतु) की भी ई-मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नं0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग के पत्र संख्या-187/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2025, दिनांक 23 जुलाई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के ई-मेल आई0डी0 के साथ-साथ विभागों में नामित नोडल अधिकारियों (शासन में मुकदमों की पैरवी हेतु) की भी ई-मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नं0 की सूची मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के साथ-साथ उसकी एक प्रति न्याय विभाग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की थी।
2- इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने-अपने विभागों की आधिकारिक ई-मेल आई0डी0 के साथ-साथ विभागों में नामित नोडल अधिकारियों (शासन में मुकदमों की पैरवी हेतु) की भी ई-मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नं0 की अद्यतन सूची महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ को 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति न्याय विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

संख्या- 3 /2026/13 (1)/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लोकेश नागर)

विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।